3

अध्याय

3 अध्याय

योजना

3.1 परिचय

गंगा नदी के संरक्षण हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजना एंव संस्थागत इकाई के रुप में नदी घाटी पर अधिक से अधिक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)[24] का गठन किया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 के अपने आदेश से एन.जी.आर.बी.ए. को भंग कर दिया तथा समग्र योजनावद्ध अधिशासन हेतु केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय के रुप में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), जिसका गठन अगस्त 2011 में किया गया था, गंगा संरक्षण हेतु कार्यन्वयन एजेंसी बनी रहेगी।

समेकित गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे का उद्देश्य व्यापक और समन्वित हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन एन.जी.आर.बी.ए. प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अनुसार है, जो समय-समय पर उपयुक्त रूप से संशोधित है।

वर्तमान अध्याय गंगा संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधित, एन.जी.आर.बी.ए. के तहत प्रस्तावित मौजूदा संगठन ढांचा और योजना तंत्र की चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा परवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

3.2 वार्षिक क्रिया योजनाएं (ए.ए.पी.)

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, एस.पी.एम.जी. द्वारा हर साल सितम्बर के शुरुआत में एस.पी.एम.जी. द्वारा सभी प्रासंगिक शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और भाग लेने वाली निष्पादन एजेंसियों (ई.ए.) के साथ राज्य के लिए मसौदा वार्षिक गतिविधियों की योजना तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय वार्षिक योजना बैठक आयोजित की जानी थी। वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) को राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी.) ने मंजूरी देनी थी। एस.पी.एम.जी. को अगले वित्तीय वर्ष के लिए ए.ए.पी. को सितंबर के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए एन.एम.सी.जी. को जमा करना था।

हमने पाया कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, 2014-17 के दौरान राज्यों में ए.ए.पी. तैयार नहीं हुए थे। 2014-17 के दौरन, उत्तर प्रदेश न ए.ए.पी. बनाया था लेकिन

---

[24] 20 फरवरी 2009 को, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 3(3) के तहत

ए.ए.पी. को एन.एम.सी.जी. प्रस्तुत करने में चार से 10 महीने की देरी थी। इसके अलावा, एस.पी.एम.जी./एन.एम.सी.जी. द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी को एन.एम.सी.जी. से भी मांगी गई थी लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, यह दर्शाता है कि एन.एम.सी.जी. की ओर से उचित वार्षिक योजना भी नहीं की जा रही थी।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि ए.ए.पी. एस.पी.एम.जी. के साथ तैयार किया जाएगा क्योंकि तदनुसार एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं और उनकी समय सीमा की पहचान की है। एस.पी.एम.जी. और निष्पादन एजेंसियों के साथ जल्द ए.ए.पी. को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3 गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना (जी.आर.बी.एम.पी.)

एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना (फरवरी 2009) के अनुसार, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने और गंगा संरक्षण के मुद्दे को एक व्यापक तरीके से संबोधित करने के लिए प्राधिकरण नदी घाटी प्रबंधन योजना के विकास के लिए उपाय करेगा। कैबिनेट अनुमोदन (मई 2015) के अनुसार, गंगा संरक्षण के लिए भारत सरकार के तहत विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को लागू करने का उद्देश्य वाले कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों के साथ गहन समन्वय के माध्यम से जी.आर.बी.एम.पी. की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली समग्र रूपरेखा के तहत हस्तक्षेप के आकार और दायरे को बढ़ाती है।

3.3.1 जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी में देरी और उसे अंतिम रूप नहीं देना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.) ने सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान[25] (जुलाई 2010) के कंसोर्टियम के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए और गंगा प्रणाली की पुनर्स्थापना व अनुरक्षण और इसके पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी के लिए कार्य को मंजूरी दी। जी.आर.बी.एम.पी. को वित्तीय परियोजनाओं के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं, नीति हस्तक्षेप और प्रबंधन कार्यों के साथ कार्य योजना प्रदान करना था। एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. ने ₹ 16 करोड़ की लागत से कार्य (अगस्त 2010) को मंजूरी दी, जिसमें 37 डिलिवरेबल शामिल थें, जो समझौते की तिथि से 18 महीने की अवधि अर्थात जनवरी 2012 तक पूरा किया जाना था। आई.आई.टी. द्वारा मुहैया कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के मुताबिक, परियोजना के लिए जारी ₹ 13.69 करोड़ की राशि के मुकाबले 31 मार्च 2016 तक ₹ 14.64 करोड़ खर्च किए गए थें।

[25] मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और रुड़की में आई.आई.टी.

एन.एम.सी.जी. ने चार बार विस्तार प्रदान किया, जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी के लिए दिए गए एक्सटेंशन का ब्योरा

विस्तार की संख्या	स्वीकृत की तिथि	अवधि जब तक विस्तार दिया गया था
प्रथम विस्तार	सितंबर 2012	दिसंबर 2013
द्वितीय विस्तार	मार्च 2014	जून 2014
तृतीय विस्तार	जुलाई 2014	दिसंबर 2014
चतुर्थ विस्तार	मार्च 2015	31 मार्च 2016

एन.एम.सी.जी. ने समझौता ज्ञापन के 54 महीनों के बाद जी.आर.एम.बी.पी. (जनवरी 2015) का पहला मसौदा प्राप्त किया जिसमें विस्तारित सारांश, मुख्य योजना दस्तावेज और सात मिशन रिपोर्ट शामिल थें।

हालांकि, एन.एम.सी.जी. ने तो परामर्श करने और उनकी राय मांगने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को जी.आर.बी.एम.पी. को परिचालित किया था और न ही गंगा पर दीर्घावधि हस्तक्षेप की शुरूआत करने के लिए जी.आर.बी.एम.पी. को अंतिम रूप दिया।

कंसोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से एन.एम.सी.जी. साढ़े छह से वर्षों[26] से अधिक होने बाद भी दीर्घकालिक कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका था। परिणामस्वरूप, एन.एम.सी.जी. के पास एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना के आठ साल से अधिक अवधि के बाद भी नदी घाटी प्रबंधन की योजना नहीं है जिससे नदी घाटी दृष्टिकोण के आधार पर गंगा पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालिक हस्तक्षेप की शुरूआत में देरी हुई।

एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. ने दस साल की अवधि में ₹ 9.60 करोड़ के वार्षिक बजट के कार्यान्वयन और जी.आर.बी.एम.पी. के गतिशील विकास में लगातार वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आई.आई.टी. कानपुर (मार्च 2016) के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया। एन.एम.सी.जी. ने आई.आई.टी. कानपुर को ₹ 9.60 करोड़ की अग्रिम राशि (अक्टूबर 2016) जारी की। एन.एम.सी.जी. ने अन्य विकल्पों का पता नहीं किया और आई.आई.टी. कंसोर्टियम द्वारा जी.आर.बी.ए.एम. की तैयारी में देरी को नजरअंदाज किया।

एन.एम.सी.जी. सहमत (अगस्त 2017) हुआ कि जी.आर.बी.एम.पी. पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

---

[26] जुलाई 2010 में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से

3.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का अनुमोदन

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, एन.एम.सी.जी. अधिकतम 60 दिनों के भीतर एस.पी.एम.जी. द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में आवश्यकतानुसार तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, स्थल दौरा और लोक परामर्श शामिल होंगे। संभावित फैसले या तो हैं (i) डी.पी.आर. का अनुमोदन किया गया, (ii) संशोधनों के लिए एस.पी.एम.जी. को वापस भेजें।

हमने 2014-15 से 2016-17 से संबंधित 154 डी.पी.आर. की स्थिति का पता लगाया और पाया कि 154 डी.पी.आर. में से 71 डी.पी.आर. मंजूर किए गए थे। इन 71 डी.पी.आर. में से, 70 डी.पी.आर. को 26 से 1,140 दिन तक के देरी के बाद मंजूरी दे दी गई थी। शेष 83 डी.पी.आर. में से 54 डी.पी.आर. 120 दिनों से लेकर 780 दिनों तक की अवधि के लिए एन.एम.सी.जी. स्तर पर लंबित हैं। इन 54 डी.पी.आर. में से, वैपकोस के 26 डी.पी.आर., एन.बी.सी.सी. के आठ डी.पी.आर., ई.आई.एल. के 10 डी.पी.आर., ई.पी.आई.एल. का एक एस.पी.एम.जी. पश्चिम बंगाल का एक, एस.पी.एम.जी. बिहार के चार और उत्तर प्रदेश के एस.पी.एम.जी. के चार डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित थें।

83 डी.पी.आर. में से, 29 डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. द्वारा 11 से लेकर 840 दिन तक देरी के साथ वापस किए गए थें। इन 29 डी.पी.आर. में से 23 डी.पी.आर. को एस.पी.एम.जी. को मई-जून 2017 के दौरान (पश्चिम बंगाल के 17, उत्तर प्रदेश के पांच और बिहार के एक) 90 से 840 दिन बाद लौटा दिए गए थें। दूसरी ओर, यह पाया गया कि उत्तराखंड के एस.पी.एम.जी. के सभी डी.पी.आर. (15) को मंजूरी दे दी गई थी।

एन.एम.सी.जी. ने डी.पी.आर. की प्राप्ति और स्वीकृति की तारीखों के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा, जिसके कारण ऑडिट पूरी तरह से परिश्रम का मूल्यांकन नहीं कर सका जिसके साथ एन.एम.सी.जी. ने एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में निर्धारित समय सीमा का पालन किया।

यह दर्शाता है कि एन.एम.सी.जी. द्वारा नमामी गंगे के तहत जरूरी डी.पी.आर. तैयार करने के लिए प्रदान किया गया समर्थन परियोजना निष्पादन के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नहीं है, जो गंगा के संरक्षण की अवधि को आगे कर सकता है और इसके पारिस्थितिकी को खतरे में डाल सकता है।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) कहा कि तकनीकी तौर पर शामिल होने के कारण, डी.पी.आर. के अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है। इसके अलावा, एस.पी.एम.जी.

भी कई डी.पी.आर. अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक राज्यों की वार्षिक योजना बैठक में बिना विचार किए और उनकी सहमति प्राप्त किए बगैर जमा कर रहे हैं।

एन.एम.सी.जी. ने फिर आगे कहा कि फरवरी 2017 से यह सुनिश्चित कर रहे है कि डी.पी.आर. सामान्य रूप से समय सीमा के भीतर मूल्यांकन और अनुमोदित किया जा रहा है।

3.5 गंगा ज्ञान केंद्र की स्थपना

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पूरा किए जाने के लिए एन.एम.सी.जी. में गंगा ज्ञान केंद्र (जी.के.सी.) को मार्च 2013 तक स्थापित करने की मंजूरी (अप्रैल 2011) दी। जी.के.सी. को एन.जी.आर.बी.ए. के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और तकनीकी विश्लेषण समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र होना था। सचिवों के समूह ने अपने 'गंगा संरक्षण के लिए एक्शन प्लान' (अगस्त 2014) में यह भी पाया कि जी.के.सी. के दायरे का विस्तार करके और आगे के शोध, नवाचार और भविष्य की रणनीतियों के विकास के लिए तथा गंगा और इसकी सहायक नदियों पर सीखने की एक समर्पित संस्था की स्थापना करने के लिए एक व्यापक ज्ञान बैंक विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नदी गंगा (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 ने भी ऐसे केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया।

3.5.1 गंगा ज्ञान केंद्र की गतिविधियों के कार्यान्वयन में मंद प्रगति

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 48.54 करोड़ के अनुमानित लागत पर जी.के.सी. की स्थापना (सितंबर 2013 और मार्च 2014) में दो चरणों में करने के प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी। जी.के.सी. को दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिसे राज्यों में पांच विषयगत उप-केन्द्रों से जोड़ा जाना था। नदी गंगा के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले वेब पोर्टल, परियोजनाओं पर एक एकीकृत सूचना आधार (एम.आई.एस.), एक अत्याधुनिक ई-पुस्तकालय, गंगा बेसिन का एक व्यापक जी.आई.एस. आधारित मैपिंग सिस्टम, अनुसंधान, प्रयोग और नए विचारों के समर्थन के लिए प्रक्रियाएं तथा मंचों, कार्यक्रमों, प्रकाशनों, इंटरैक्टिव मॉडल के माध्यम से हितधारकों को आकर्षक बनाने के लिए प्रक्रियाएं।

हमने पाया है कि

- एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.के.सी. की स्थापना के लिए मंजूर ₹ 48.54 करोड़ में से 31 मार्च 2017 तक, केवल ₹ 1.43 करोड़ (जो स्वीकृत राशि का तीन प्रतिशत था) खर्च किए गए थे।

- जी.के.सी. के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि एन.एम.सी.जी. के भीतर डेटा संग्रह और प्रबंधन के लिए कार्यस्वरूप, ई-पुस्तकालय की स्थापना, एकीकृत एम.आई.एस. के साथ जी.आई.एस. आधारित वेब पोर्टल की उच्च गुणवत्ता, गंगा घाटी आदि के व्यापक मानचित्रण आदि अभी भी शुरू किया जाना था।
- जी.के.सी. के लिए 13 प्रमुख कार्मिक पदों की भर्ती दो साल (सितंबर 2015 तक) में पूरी की जानी थी। एन.एम.सी.जी. ने मंजूर जनशक्ति की भर्ती नहीं की और जी.के.सी. (अप्रैल 2017) में केवल चार कर्मचारी काम कर रहे थें।
- एन.एम.सी.जी. ने एन.एम.सी.जी. के लिए अभिरूची के विभिन्न विषयों पर सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए डुंडी विश्वविद्यालय (यू.के.), टेरी, द नेचर कन्जर्वेंसी (टी.एन.सी.), विश्व वन्यजीव कोष और बा-टेक वबाग लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस तारीख तक अनुसंधान के क्षेत्र का अभी तक पहचान और अंतिम रूप दिया बाकी था।
- एन.एम.सी.जी. ने अनुसंधान के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने और अनुमोदन के लिए उन्हें सशक्त स्टेयरिंग कमेटी भेजने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) का गठन नहीं किया था।
- जी.के.सी. की गतिविधियों को नियमित रूप से मिशन निदेशालय, एन.एम.सी.जी. द्वारा मॉनिटर किया जाना था। हालांकि, जी.के.सी. की स्थापना के संबंध में शुरू की गई गतिविधियों का जायजा लेने के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा केवल एक बैठक (अप्रैल 2017) बुलाई गई थी।

इस प्रकार, भौतिक और वित्तीय प्रगति बहुत धीमी थी, जिससे काम की धीमी प्रगति परिलक्षित होती थी।

3.5.2 जी.के.सी. के तहत 'गंगा ज्ञान धारा' परियोजना के उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि

जी.के.सी. के अंतर्गत आने वाली मुख्य गतिविधियों में से एक गंगा नदी पर लिगेसी आंकड़ों[27] को संकलित और एकत्रित करना था। एन.एम.सी.जी. ने अप्रैल 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई.आई.पी.ए.) को 'गंगा नदी पर विरासत डेटा संग्रह और कम्प्यूटरीकरण' के लिए ₹ 87.18 लाख के शुल्क के साथ 12 महीने के लिए लगाया। आई.आई.पी.ए. को गंगा पर सभी मौजूदा सूचनाओं को एकत्रित करना, प्रासंगिकता और गुणवत्ता के लिए सूचना को छांटना, इसे आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए डेटा को व्यवस्थित और संगृहीत करता था। आई.आई.पी.ए. को सौंपे गए कार्य में

[27] लिगेसी आंकड़े को सक्रिय और निष्क्रिय डेटा के रूप में संदर्भित किया जाता है जो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत होता है और जो वर्तमान में समझा नहीं जा सकता, इस्तेमाल किया या प्रबंधित किया गया हो।

(ए) विभिन्न हितधारकों, व्यक्तियों, संस्थानों के साथ अंतर्निहित/अज्ञात जानकरी की खोज और एकत्रित करना; (बी) डेटा संहिताकरण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण; (सी) एन.एम.सी.जी. आदि के लिए डेटा / सूचना का स्थानांतरण शामिल हैं।

आई.आई.पी.ए. ने 41 विश्वविद्यालयों, जिनसे जानकारी मांगी गई थी, में से 33 से प्रत्युत्तर प्राप्त किए बिना पूरी रिपोर्ट (जुलाई 2015) प्रस्तुत की। आई.आई.पी.ए. ने 77,700 संदर्भ सामग्रियों को डाउनलोड नहीं किया जो इसके द्वारा एकत्र किए गए थे। इसके अलावा, आई.आई.पी.ए. को चरणों में 'एन.एम.सी.जी. को डाटा/सूचना स्थानांतरण' करनाथा जब यह पूरा हो गया हो। सुलभता से उपलब्ध पुस्तकों/पत्रिकाओं, एक बार जब वे कोडित/डिजिटलीकृत कर दिए जाते हैं, को तुरंत स्थानांतरित करना था और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य डेटा सेटों को स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, आई.आई.पी.ए. ने ऐसा नहीं किया था। एन.एम.सी.जी. ने अपने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि कॉपीराइट मामलों के कारण कुछ पत्रिकाओं/शोध पत्रों का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सका। हालांकि, एन.एम.सी.जी. का उत्तर हस्तांतरित आंकड़ों/सूचनाओं के बारे में चुप था।

एन.एम.सी.जी. ने आई.आई.पी.ए. द्वारा दी गई सूचना और रिपोर्ट को उसके प्रस्तुत करने के दो साल के बाद भी सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा। वेबसाइट 'गंगा ज्ञान धारा' रखरखाव के अंतर्गत था (अप्रैल 2017)। इस प्रकार, यह आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए डेटा को व्यवस्थित और संगृहीत करने का उद्देश्य हासिल नहीं हुआ।

3.6 संचार और सार्वजनिक पहुंच

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, सामरिक संचार के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन सुनिश्चित करने के लिए संचार और सार्वजनिक आउटरीच रणनीति और योजना तैयार की गई और सार्वजनिक भागीदारी और आउटरीच में वृद्धि की गई। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम (जुलाई 2014) के अंतर्गत, 'अल्पावधि गतिविधियाँ' में, संचार और सार्वजनिक आउटरीच किया जाना था।

2015-16 और 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश में संचार और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना क्रमशः जुलाई 2015 व अप्रैल 2016 से एन.एम.सी.जी. में लंबित थी। नतीजतन, कोई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का प्रदर्शन नहीं की गई।

3.7 वार्षिक रिपोर्ट

एन.एम.सी.जी. को हर साल के अंत के तीन महीनों के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हमने पाया है कि एन.एम.सी.जी. ने इसकी स्थापना (2011) के बाद से वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं किया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई 2017) कि इसकी गतिविधियां अभी भी नियोजन के स्तर पर थी और वार्षिक रिपोर्ट योग्यता से तैयार की गई थी।

3.8 नदी संरक्षण क्षेत्र की स्थिति

गंगा में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कम करने और जल के निरंतर और पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों के गठन हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. ने एक अधिसूचना जारी की (अक्टूबर 2016) ताकि नदी को अपने प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति में पुनर्स्थापित किया जा सके। इस अधिसूचना के तहत गंगा नदी के किनारे और बाद के मैदान को प्रदूषण स्रोतों दबावो को कम करने और प्राकृतिक भूजल रिचार्ज कार्यों को बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्शन निर्माण सक्रियता से मुक्त रखा जाना चाहिए।

हमने पाया कि मई 2017 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है। उत्तराखंड में यह प्रगति पर था।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) इस मुद्दे को स्वीकार किया

3.9 निष्कर्ष

एन.एम.सी.जी. ने गंगा पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप शुरू करने के लिए गंगा संरक्षण घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। गंगा संरक्षण के लिए डी.पी.आर. अनुमोदन में असामान्य देरी हुई। जून 2017 तक गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

3.10 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि -

i. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी संरक्षण पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन करने के लिए गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दे सकता है और समयबद्ध तरीके से इसे लागू कर सकता है।

ii. एन.एम.सी.जी. डी.पी.आर. का मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकता है जैसा कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में समयबद्ध तरीके से करने की परिकल्पना की गई थी।

iii. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी को अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों से संरक्षित करने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान कर सकता है और घोषित कर सकता है।